30.04.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दि. 21.05.24 को पेश हो। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है।

21.05.24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 18.06.24 को पेश हो।

18.06.24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप. । वकील रेस्पो. को बार-बार आवाज लगवाई गयी। उपस्थित नहीं आये। वकील अपीलांट की बहस सुनी गयी। वकील रेस्पो. को एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 9/07/24 को पेश हो।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

09.7.24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

6/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप.। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः पत्रावली वकील अपीलांट के निवेदन के आधार पर नोटपेज में खारिज की जाती है। पत्रावली कसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अभावली,
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का मूल, निर्णय माननीय न्यायालय आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा, निरस्त खारिज पाने के बाद अपील आज्ञेन्ट्री बाबत चाहते हैं। No Press में रखा जाकर खारिज जावे।